



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
ब्लॉक नं-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

क्र.का०नि०(मा०सं०एवं प्र०)/वरि.सूची/उ.स.चार/5455 जबलपुर, दि : 20.12.2013

परिपत्र


विषय : म.प्र.पाँ.ज.कं.लि. द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात नियुक्त किए गए कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में ।

- 0 -

म.प्र.पाँ.ज.कं.लि. द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात नियुक्त किए गए कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा : -

- (1)- कार्मिकों की वरिष्ठता के निर्धारण में 40 प्रतिशत वेटेज प्रारंभिक लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का तथा 60 प्रतिशत वेटेज प्रशिक्षण के दौरान रोटेशनल ट्रेनिंग, मिड-टर्म एप्राइजल, इन-हाउस क्लास रूम ट्रेनिंग, लेखा व स्थापना परीक्षा एवं फाईनल एप्राइजल इत्यादि में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर होगा ।
- (2)- चयन प्रक्रिया में जारी की गई प्रथम सूची के उपरांत, प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत चयनित/नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता, प्रथम सूची से आये कार्मिकों के उपरांत, निर्धारित की जावेगी ।
- (3)- निम्न परिस्थितियों में कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण केवल प्रशिक्षण एवं फाईनल एप्राइजल के उपरांत, नियमित नियुक्ति की तिथि (Date of Regularisation on cadre post) के आधार पर होगा : -
 - (i) यदि किसी प्रशिक्षु की प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि की जाती है ।
 - (ii) यदि प्रशिक्षण काल के दौरान किसी प्रशिक्षु द्वारा असाधारण अवकाश/वेतन रहित अवकाश का उपभोग किया गया है, तो ऐसी गतिरोध अवधि (Broken Period) उनके प्रशिक्षण अवधि में नहीं मानी जावेगी अर्थात् प्रशिक्षणकाल एवं गतिरोध अवधि के बाद नियमित नियुक्ति की तिथि के आधार पर ।
 - (iii) यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु आदेश में उल्लिखित समयसीमा के उपरांत विलम्ब से उपस्थित होता है ।
- (4)- एक से अधिक प्रशिक्षुओं का चयन, प्रशिक्षण एवं फाईनल एप्राइजल में प्राप्त अंकों का योग एक समान होने की स्थिति में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर, अर्थात् जिनकी जन्मतिथि पूर्व की है, उन्हें पहले तथा जिनकी जन्मतिथि बाद में है, उन्हें बाद में ही किया जावेगा ।

आदेशानुसार



(ए.के. अवस्थी)

कार्यपालक निदेशक (मा०संसा० एवं प्रशा०)
म.प्र.पाँ.ज.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक का.नि.(मासंएवंप्रशा)/वरि.सूची/उ.स.चार/5456 जबलपुर, दिनांक 20.12.2013
प्रतिलिपि : -

1. कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता (संचा.संघा.-उत्पा.) / (सामग्री प्रबंधन) / (अभियांत्रिकी) / (सिविल अभियांत्रिकी) / (नवीनी. एवं आधुनिकी.) / (संचा.संघा.-जलविद्युत).
संघाताविगु / श्री सिंगाजी ता.वि.परि. / अताविगु / सताविगु. म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड.
जबलपुर / बिरसिंहपुर / खण्डवा / चचाई / सारनी ।

2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (परियोजना उत्पादन) म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
 3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सी.एस.) / (उत्पा.-मंजूर) / (टी.एच.सी.) / (सिविल-ज्व. अनु. एवं जल विद्युत संचारण वृत्त) म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / सिरमौर ।
 4. अतिरिक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा) म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
 5. संयुक्त सचिव- एक, कार्या. कार्य. निदे. (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र. पाँ. जन. कं. लि. जबलपुर ।
 6. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन), गांधी सागर / पेंच / राजघाट / राजवासा / बाण सागर-II/III/IV / मंडीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, गांधीसागर / तोतलाडोह / चंदेरी / बरगी नगर / सिलपरा / देवलौद / झिन्ना / शिवपुरी ।
 7. अतिरिक्त अधीक्षण अभि. (सिविल) सर्वे एवं अनुसंधान / जल विद्युत, म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
 8. कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनुसंधान / सिविल संभाग, म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, शेवा / गोंडबहेरा, उझेनी, सिगरौली ।
 9. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (सी.ओ.सी. एण्ड एच.एस.) / सगांतापिनू / सतापिनू / अतापिनू / टी.एच.सी., म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / बिरसिंहपुर / सारनौ / चवाई / सिरमौर ।
 10. निज सचिव / निज सहायक सम्बद्ध प्रबंध संचालक / संचालक (तकनीकी) / (वाणिज्य), म.प्र. पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
 11. सहायक अभियंता (आई.टी.) कार्या. कार्य. निदे. (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र. पाँ. जन. कं. लि. जबलपुर ।
 12. ग्रन्थपाल, म.प्र. पाँ. जन. कं. लि. जबलपुर ।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



(पी.के. श्रीवास्तव),

संयुक्त सचिव-दो

कार्या. कार्य. निदे. (मा.संसा. एवं प्रशा.)

म.प्र. पाँ. जन. कं. लि., जबलपुर